

मूल याद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपनाम

पुलतान सिंह

बनाम


अमीलाल आरि

वाया बाबत :- ४४ एम० ए०

मुकदमा नम्बर :- 310/2021

निर्णय दिनांक :- 22-10-2021

वादी की ओर से वकील पुनम चैतन्य की व प्रतिवादी सं० 1 का प की ओर से वकील अद्वैत कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मिश्रा के खाता सं० 585/185 के मु० न० 555 के किल्ला न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22, 23 मु० न० 560 के किल्ला न० 1, 1/2 ता 3, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 13, 20/1, 20/2 कुल 5.6020 हे० वाराना 8.5570 हे०, मु० रस्ता 0.0570 हे० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 261/782 दिस्सा राजस रिकार्ड में दर्ज है व रोही भोजा नम 8252 (जेएसएल) के खाता सं० 247/224 के मु० न० 118 के किल्ला न० 1 ता 24, मु० न० 145 के किल्ला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2 कुल 5.8150 हे० नदरी 5.7440 हे०, मु० खाला 0.0750 हे० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 7/23 दिस्सा हथि गूमि राजस रिकार्ड में दर्ज है उक्त प्रतिवादी सं० 1 के दिस्सा में से वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 को संयुक्त रूप से 5/1 दिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 का 1/6 दिस्सा व प्रतिवादी सं० 5 ता 7 को संयुक्त रूप से 1/1 दिस्सा के खाते पर काबूदार घोषित किया जाता है यद्यपि प्रतिवादी सं० 1 ने अपना संयुक्त रूप व दिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में लगाया है किन्तु पंजीन किया गया है इसलिए न्याय किने गए दिस्से पर पंजीन किया गया है किन्तु असा करने व यदि रहने दो तो संयुक्त होने नुसार खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। राजस रिकार्ड में अपन दर्शाया किया जावे। राजीनामा को किने का मज पहा पावे यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-10-21 को नरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हुनुसागढ़